

## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल

### सूचना का अधिकार अधिनियम –2005

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट, की कमेटी/ परिषद/ बोर्ड या अन्य निकाय जिसमें दो या अधिक जन प्रतिनिधि, सम्बन्धित निकाय के अंग के रूप में या सुझाव देने हेतु शामिल है  
धारा-4 b[VIII]

स0क्र0	शाखा का नाम	ऐसे बोर्ड /परिषद अथवा कमेटी अथवा अन्य निकाय जिसमें 2 या अधिक जन प्रतिनिधि हो. जो संबंधित निकाय का हिस्सा हों , अथवा सुझाव देने हेतु हो तो				क्या इनके सम्मिलन में आम जनता भाग ले सकती है अथवा इनके कार्यवृत्त जनता को उपलब्ध हो सकते है	रिमार्क
		समिति का नाम	जन प्रतिनिधियों के नाम	जन प्रतिनिधियों के अधिकार	जन प्रतिनिधियों के कर्तव्य		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एस0सी04	अल्पसंख्यक कल्याण कार्यवाही प्रवर्तित है अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कार्य करना				आम जनता इसमें भाग नहीं ले सकती किन्तु कार्यवाही विवरण जनता को उपलब्ध हो सकता है ।	
2.	एस0सी0-3	जिला स्तरीय यातायात समिति				-	यातायात सुगम बनाये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव पारित करना.